न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/19/2026	2026/33	09.04.2026	29.04.2026

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. अशोक कुमार पुत्र कान सिंह, मेंहदी बाग, नरूका कॉलोनी, मनुमार्ग, अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 3 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।
2. अशोक सिंह — अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 3 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 24.02.2026 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं बनवारी लाल, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री अमित कुमार यादव, प्रवर्तन अधिकारी, श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री अशोक पुत्र श्री कान सिंह, मेंहदी बाग, नरूका कॉलोनी, मनुमार्ग, अलवर के बस स्टेण्ड के अन्दर, अलवर स्थित शेखावटी भोजनालय पर पहुंचे। मौके पर श्री अशोक पुत्र श्री कान सिंह उपस्थित मिले। श्री अशोक पुत्र श्री कान सिंह की दुकान पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर भोजनालय के चूल्हों से जुडे हुए पाए गए। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री अशोक पुत्र श्री कान सिंह द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग क्रिया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० मोहन गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि मुबीन पुत्र इसाक खान, निवासी भाखेडा, जयपुर रोड, अलवर को सुपुर्द किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर के अनुसार अप्रार्थी श्री अशोक पुत्र श्री कान सिंह, के बस स्टेण्ड के अन्दर, अलवर स्थित शेखावटी भोजनालय पर वक्त जांच मौके पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर भोजनालय के चूल्हों से जुडे हुए पाए गए। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री अशोक पुत्र श्री कान सिंह द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच उक्त घरेलू सिलेण्डरों को उक्त भोजनालय पर रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। विधिक रूप से घरेलू सिलेण्डर केवल उपभोक्ता के पंजीकृत पते या रसोई में होने चाहिए। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)